



# पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून-248002

दूरभाष नं० 0135-2645249 फैक्स नं० 0135-2645249 email:- [hr@ptcul.org](mailto:hr@ptcul.org)

पत्रांक : 648 / मा०सं०एवंप्र०वि० / पिटकुल / एच-6

दिनांक : 18.04. 2023

## कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० में "पी०आर०डी०" तथा "सैल्फ हैल्प ग्रुप" के माध्यम से कार्योजित आउटसोर्स कार्मिकों को पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० की निदेशक मण्डल की दिनांक 10.03.2023 को सम्पन्न 84वीं बैठक के एजेण्डा संख्या 84.14 में पारित प्रस्ताव में ऊर्जा क्षेत्र में "पी०आर०डी०" तथा "सैल्फ हैल्प ग्रुप" के माध्यम से कार्योजित कार्मिकों का कार्य विशेष प्रकृति का होने को दृष्टिगत रखते हुए उक्त कार्मिकों को "विशेष ऊर्जा भत्ता" निम्नवत् श्रेणीवार दिए जाने की सहर्ष स्वीकृत के आदेश निर्गत किए जाते हैं :-

क्रम सं०	कार्मिकों की श्रेणी	कुल विशेष ऊर्जा भत्ता प्रतिमाह
01	समूह 'ख' / उच्च कुशल	रु० 1000 / -
02	समूह 'ग' / कुशल	रु० 800 / -
03	समूह 'ग' / अर्द्ध कुशल	रु० 700 / -
04	समूह 'घ' / अकुशल	रु० 600 / -

विशेष ऊर्जा भत्ते पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम का अंशदान, सर्विस चार्ज एवं जी०एस०टी० का भुगतान वर्तमान व्यवस्था के अर्न्तगत नियमानुसार अतिरिक्त होगा।

उक्त आदेश निर्गमन की तिथि से प्रभावी होंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पत्रांक : 648 / मा०सं०एवंप्र०वि० / पिटकुल / एच-6 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव-प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव/डा०ए०आ०-निदेशक (मा०सं०) / (वित्त) / (परियोजना) / (परिचालन), पिटकुल को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता / महाप्रबन्धक, पिटकुल, .....।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता / उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल, .....।
5. समस्त आहरण वितरण अधिकारी / समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल.....।
6. अधिशासी अभियन्ता (सू०प्रौ०), पिटकुल, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश कारपोरेशन की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
7. सम्बन्धित पत्रावली / कट फाईल।

(अशोक कुमार जुयाल)  
महाप्रबन्धक (मा०सं०)(आ०)